न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2016	29–07–2016	20–12–2018

01– वेदप्रकाश यादव पुत्र दलीप सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिजोरावास तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार बहरोड़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड़ दिनांक 08.07.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 07/2015

उपस्थितः–

01–श्री आर. पी. यादव –वकील अपीलाण्ट

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 08.07.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बिजोरावास की चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 0.08 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली आदेश से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 584 रकबा 18.11 है0 साबिक खसरा नम्बर 469 रकबा 66 बीघा 7 बिस्वा ग्राम बिजोरावास तह0 बहरोड़ में स्थित है। जिस आराजी के साथ लगती हुई अपीलार्थी के पिता श्री दलीप सिंह यादव पुत्र श्री चौखराज यादव की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर हाल 267 रकबा 0.38 है0 व 268 रकबा 0.34 है0 स्थित है। उक्त आराजी पर खेती कार्य के उपकरण रखने के लिए मकानात् का निर्माण काफी समय पूर्व करवाया गया था जो मौके पर आज भी मौजूद है। बंदोबस्त संवत् 2042 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक खसरा नम्बर 211 व 212 के रकबे को 3 बिघा 5 बिस्वा से उक्त आराजीयात का रकबा 0.72 है0 कायम करते हुए रकबा करीब 0.10 है0 कम कर दिया गया। जिन रकबों को दुरूस्त कराने के लिए अपीलार्थी द्वारा चाराजोही करते हुए अपना वाद दायर किया हुआ है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलार्थी के पिता की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से कम किए गए रकबे को राजस्व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मनमाने तौर पर खिलाफ कानून व खिलाफ रिकार्ड खसरा नम्बर 584 के रकबे में शामिल करते हुए उस का रकबा राजस्व रिकार्ड में बढा दिया गया अपीलार्थी के पिता द्वारा अपनी रिहायश व कृषि उपकरणों व मवेशियान को रखने हेतु मकानात् को उक्त खसरा नम्बर 584 में दर्ज कर दिया गया। जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को खसरा नम्बर 584 का अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली एवं 50 गुणा लगान से दण्डित करने के आदेश दिनांक 13.03.2014 को फरमाये गये। जिस पर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई। जिसका निर्णय दिनांक 10.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाते हुए प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए आदेशित किया गया कि मिलान क्षैत्रफल व मौका जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करे कि अपीलांट का कब्जा किस भूमि पर है। वह चारागाह का हिस्सा है अथवा नहीं। पुनः मौका एवं रिकार्ड के आधार पर जांच कर तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका देकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। जिस पर अधीनस्थ नयायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 08.07.2016 का अपीलार्थी को आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम बिजोरावास तह0 बहरोड का अतिक्रमी घोषित कर बेदखली करने की आज्ञा फरमाई। जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील निम्न तथ्यों पर पेश की गई है कि आक्षेपित आदेश अधीनस्थ न्यायालय काण्ट्रेरी टू लॉ एवं अगेन्स्ट दी प्रोसीजर अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी किये गये नोटिस दिनांक 01.09.2015 का जवाब देते हुए अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण का निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

जमीन के साबिक रिकार्ड के अनुसार मौके पर नापतौल कर किया जावें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का मुताबिक प्रकरण की मिसल 2020 से 2042 मौके की जांच की जावें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि 2020 की जमाबंदी में साबिक खसरा नम्बर 211 व 212 का कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा अंकित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 267 व 268 रकबा कुल 0.72 कायम हुए है जो करीब 0.10 है0 कम कर दिया गया तथा उस कम किए कए रकबे को खसरा नम्बर 584 में सम्मिलित कर दिया गया है। जिससे आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2016 अपास्त फरमाया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का मकान आबादी भूमि में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी जांच नहीं की गई है कि संवत् 2020 के मिलान क्षैत्रफल का रकबा व वर्तमान रकबे में अन्तर का कारण क्या रहा है तथा साबिक खसरा नम्बर 211 व 212 का कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के नये नम्बरों में खसरा नम्बर 267 व खसरा नम्बर 268 का कुल रकबा 0.72 है0 किया गया है जो करीब 0.10 है0 कम किया गया है। उक्त 0.10 है0 रकबा कहां गया इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट तहसीलदार बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर व उक्त मिलान क्षैत्रफल अनुसार आराजी की नाप-तौल करवाकर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20–12–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)